न्यायालयः—अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर।

कुढनी—595 / 2021
स्पेशल जी0 आर0—59 / 2021

17.11..21 अभियुक्त दिलिप कुमार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल करते हैं। इसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त कराया गया। जमानत के विन्दु पर विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है। इसने कोई अपराध नहीं किया है। गावई राजनीति के कारण इन्हें इस झुठे वाद में फंसाया गया है। अभियुक्त साधारण किसान है तथा खाने के लिए चावल खरीदकर ले जा रहा था। वाद के मुख्य अभियुक्त अजय कुमार जो जन वितरण प्रणाली दूकान के स्वामी है उसको इस वाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

जमानत के विन्दु पर विद्वान अधिवक्ता को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी अभियुक्त कुढनी थाना कांड सं0 595 / 21 अन्तर्गत धारा 7 इसी0एक्ट के अन्तर्गत अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। वाद अभी अनुसंधानरत हैं। वाद के मुख्य अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से मो0 5000x1 रूपये के समान राशि के एक जमानतदार के बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है

लेखापित,

प्र0, अनु0 न्या0दण्डा0, पश्चिमी
मुजफ्फरपुर।

बाद में

प्रार्थी अभियुक्त की ओर से आदेश के अन्तर्गत बंध पत्र साथ जमानतदार के शपथ पत्र दाखित किया गया जिसे जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित,

प्र0, अनु0 न्या0दण्डा0, पश्चिम मुजफ्फरपुर।